संख्या-961/2017/2330/22-2-2017-17(78)/2014

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 **लखनऊ दिनांक 29 दिसम्बर, 2017**

विषय:- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ. में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजबहादुर पुत्र श्री रामऔतार, निवासी जनपद-हरदोई की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यालय कारागार के पत्र संख्या-32403/प्रोबेशन-3(एम-22.06.2017) दिनांक-07.09.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र दिनांक 07.09.2017 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी राजबहादुर पुत्र श्री रामऔतार, ग्राम बहोरवा, थाना-टडियावां, जनपद-हरदोई का निवासी है। बन्दी ने पूर्व में हुयी हत्या एवं मकान बनाने के विवाद में दिनांक 23.06.1922 को दोपहर लगभग 12.30 बजे 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बांके से मारकर राजेन्द्र उर्फ भानू नामक व्यक्ति की हत्या कर तथा 01 व्यक्ति को घायल कर दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-636/1982 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302/34, 324/34 में मा0 चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश, हरदोई के आदेश दिनांक 18.08.1983 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 05.08.1999 द्वारा सत्र न्यायालय के निर्णय को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 08.02.2017 तक 17 वर्ष 06 माह 12 दिन की अपरिहार तथा 23 वर्ष 02 माह 11 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल में आचरण सन्तोषजनक है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड ने अंकित किया है कि बन्दी ने पूर्व में हुयी हत्या, मकान बनाने के विवाद में दिनांक 23.06.1922 को 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बांके से मारकर राजेन्द्र उर्फ भानू नामक व्यक्ति की हत्या करने तथा 01 व्यक्ति को घायल करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी की आयु-61 वर्ष लगभग है। बन्दी के पुन: अपराध करने की सम्भावना होने की पुष्टि पुलिस अधीक्षक ने 05 बिन्दुओं की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता जघन्यता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी राजबहादुर पुत्र श्री रामऔतार, निवासी जनपद-हरदोई को फार्म-'ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी राजबहादुर (बन्दी संख्या-12058) पुत्र श्री रामऔतार, निवासी जनपद-हरदोई के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-961/2017/2330(1)/22-2-2017, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-हरदोई।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ.।

3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री के सूचनार्थ।

4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्ंया-961/2017/2330@22-2-2017-17(78)/2014
दिनांक 29 दिसम्बर, 2017 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ. में निरूद्ध बन्दी राजबहादुर (बन्दी संख्या-12058) पुत्र श्री रामऔतार, ग्राम बहोरवा, थाना-टडियावां, जनपद-हरदोई का निवासी है। बन्दी ने पूर्व में हुयी हत्या एवं मकान बनाने के विवाद में दिनांक 23.06.1922 को दोपहर लगभग 12.30 बजे 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बांके से मारकर राजेन्द्र उर्फ भानू नामक व्यक्ति की हत्या कर तथा 01 व्यक्ति को घायल कर दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-636/1982 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302/34, 324/34 में मा0 चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश, हरदोई के आदेश दिनांक 18.08.1983 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 05.08.1999 द्वारा सत्र न्यायालय के निर्णय को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 08.02.2017 तक 17 वर्ष 06 माह 12 दिन की अपरिहार तथा 23 वर्ष 02 माह 11 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल में आचरण सन्तोषजनक है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड ने अंकित किया है कि बन्दी ने पूर्व में हुयी हत्या, मकान बनाने के विवाद में दिनांक 23.06.1922 को 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बांके से मारकर राजेन्द्र उर्फ भानू नामक व्यक्ति की हत्या करने तथा 01 व्यक्ति को घायल करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी की आयु-61 वर्ष लगभग है। बन्दी के पुन: अपराध करने की सम्भावना होने की पुष्टि पुलिस अधीक्षक ने 05 बिन्दुओं की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता जघन्यता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी राजबहादुर पुत्र श्री रामऔतार, निवासी जनपद-हरदोई को फार्म-'ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई **अस्वीकार** किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।